न्यायालय [redacted] तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 259/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का खेड़ापुरी बनाम श्री मुखराम पुत्र भरोसी जाति गुर्जर निवासी रामपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 20/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री मुखराम ने ग्राम रामपुर को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.75 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2075 में गेहूं / सरसों कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण निरस्त योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत : अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.75 किस्म चरागाह वाके ग्राम रामपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 12.00 रू. 50 गुणा 600 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूं 0.25 / सरसों 0.50 को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया

तहसीलदार
तहसील महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 56 पर
वर्ष 2017-18 नीलामी
की राशि 600 रू.
की जमा कायमी की गई
(हस्ताक्षर) लेखाकार